



पत्रांक-कारा/स्था0(चि0)-01-06/2026...7506

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

प्रेषक,

संजीव जमुआर
अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र0),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-...3.../...8.../2026

विषय:-गृह विभाग (कारा) अंतर्गत संविदा के आधार पर चिकित्सकों (विशेषज्ञ एवं सामान्य) के नियोजन हेतु वॉक-इन-इन्टरव्यू के कार्यक्रम का विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि गृह विभाग (कारा) अंतर्गत संविदा के आधार पर वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से चिकित्सकों (सामान्य/विशेषज्ञ) को नियोजित करने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की तिथि-06.08.2026 से 20.08.2026 तक निर्धारित की गयी है तथा वॉक-इन-इन्टरव्यू का कार्यक्रम दिनांक-08.09.2026 से 10.09.2026 तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः विषयांकित विज्ञप्ति प्रकाशित करने संबंधी सूचना की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक-05.08.2026 से लगातार दो दिनों तक प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र0)
बिहार, पटना।

१५



बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

गृह विभाग (कारा) अंतर्गत संविदा के आधार पर चिकित्सकों (विशेषज्ञ एवं सामान्य) के नियोजन हेतु वॉक-इन-इन्टरव्यू आयोजित करने से संबंधित सूचना

आवेदन प्रारंभ होने की तिथि-06.08.2026
आवेदन की अंतिम तिथि-20.08.2026

राज्य की काराओं में संविदा के आधार पर चिकित्सकों (विशेषज्ञ एवं सामान्य) के नियोजन हेतु दिनांक-08.09.2026 से 10.09.2026 तक पूर्वाह्न 10:00 बजे से वॉक-इन-इन्टरव्यू का आयोजन कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना में किया गया है।

2. (i) वॉक-इन-इन्टरव्यू में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक चिकित्सक अभ्यर्थी निम्नांकित URL पर सभी वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि (Online आवेदन) उपलब्ध विहित प्रपत्र में दिनांक-06.08.2026 से 20.08.2026 तक कर सकते हैं :-

https://eprisons.bihar.gov.in/mis/RecruitmentDr2026/DrRec_Instruction.aspx

(ii) चिकित्सक अभ्यर्थियों से सिर्फ Online Mode में Application प्राप्त किये जायेंगे।

3. अभ्यर्थियों के वॉक-इन-इन्टरव्यू की तिथि निम्नवत् है:-

क्र0	अभ्यर्थियों के नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार समूह (Name Start With)	साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	A से F तक	08.09.2026	नाम के पहले सम्मान और आदर (Respect) प्रकट करने के लिए लगाये जाने वाले सामान्य, शैक्षणिक, धार्मिक और आध्यात्मिक उपाधियों (Title) यथा-Dr., Mr., Md. etc. के बाद आने वाला नाम का पहला अक्षर के अनुसार।
2	G से P तक	09.09.2026	
3	Q से Z तक	10.09.2026	

4. वॉक-इन-इन्टरव्यू में अभ्यर्थियों को निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उसकी छायाप्रतियों की एक-एक स्व-अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति साथ लाना अनिवार्य होगा :-

- (i) सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
- (ii) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।
- (iii) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु)।
- (iv) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत EWS प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)।
- (v) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
- (vi) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।
- (vii) पासपोर्ट आकार का 02 (दो) फोटोग्राफ।
- (viii) एक फोटो युक्त पहचान पत्र (यथा-आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि)।
- (ix) बिहार राज्य चिकित्सा परिषद से स्थाई निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- (x) सभी अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ इस आशय का 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन्डेमनिटी बॉण्ड (Indemnity Bond) संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

नोट:- ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की तिथि को आवेदक के पास मान्य EWS/क्रिमीलेयर-रहित प्रमाण पत्र (इस कोटि के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु) का होना अनिवार्य है।

5. आवेदक आवेदन पत्र भरते समय प्राथमिकता के क्रम में इच्छा-क्रमानुसार तीन काराओं/जिला (गृह जिला को छोड़कर) का नाम देंगे। इच्छित तीन काराओं/जिलों में रिक्ति अवशेष नहीं रहने की स्थिति में विभाग अन्य जिला में पदस्थापन हेतु स्वतंत्र होगा।

6. इस नियोजन प्रक्रिया में सरकार द्वारा निर्धारित सभी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा तथा इन्टरव्यू में शामिल होने हेतु अभ्यर्थियों को कोई यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

7. नियोजन हेतु रिक्तियों की विवरणी, अर्हताएँ तथा मानदेय निम्न प्रकार है:-

(i) संविदा आधारित विशेषज्ञ चिकित्सक, कुल रिक्त पद:-16

पदनाम	मानदेय	रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी								स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती नाती/नतीनी हेतु
		गैर आर0	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अ0पि0व0	पि0व0	पि0 वर्गों की महिलाएँ	कुल	
संविदा आधारित विशेषज्ञ चिकित्सक	रु82,000/-	05	01	03 (02 बैकलॉग सहित)	00	04 (02 बैकलॉग सहित)	02 (01 बैकलॉग सहित)	01	16	-
	महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद	02	00	00	00	00	00	-	02	-
	दिव्यांग हेतु	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता/सा0प्र0वि0, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-962 दिनांक-22.01.2021 की कड़िका-(8) के खण्ड-(क) से खण्ड-(घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को एक (01) पद अनुमान्य है।								

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

एम0बी0बी0एस0 एवं एम0डी0/एम0एस0 तथा बिहार राज्य चिकित्सा परिषद से स्थायी निबंधन।

(ii) संविदा आधारित सामान्य चिकित्सक, कुल रिक्त पद:-53

पदनाम	मानदेय	रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी								स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती नाती/नतीनी हेतु
		गैर आर0	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अ0पि0व0	पि0व0	पि0 वर्गों की महिलाएँ	कुल	
संविदा आधारित सामान्य चिकित्सक	रु65,000/-	15	04	15 (08 बैकलॉग सहित)	01 (01 बैकलॉग सहित)	13 (06 बैकलॉग सहित)	04	01	53	-
	महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद	05	01	02	00	02	01	-	11	-
	दिव्यांग हेतु	1. चलंत दिव्यांगता (जिसके अंतर्गत प्रमस्तिषक घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण) को एक (01) पद अनुमान्य है। 2. स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता/सा0प्र0वि0, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-962 दिनांक-22.01.2021 की कड़िका-(8) के खण्ड-(क) से खण्ड-(घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को एक (01) पद अनुमान्य है।								

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

एम0बी0बी0एस0 तथा बिहार राज्य चिकित्सा परिषद से स्थायी निबंधन।

8. अन्य शर्तें:-

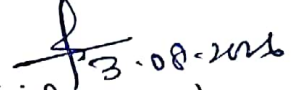
(i) नियोजन 11 माह के लिए किया जायेगा एवं सेवा संतोषजनक होने पर नियमानुसार संविदा विस्तार किया जा सकेगा।

(ii) नियोजन हेतु अधिकतम आयु-सीमा 65 वर्ष होगी।

(iii) रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

(iv) इस संबंध में विस्तृत जानकारी गृह विभाग(कारा) के वेबसाईट https://eprisons.bihar.gov.in/mis/RecruitmentDr2026/DrRec_Instruction.aspx पर उपलब्ध है।

विश्वासभाजन



(संजीव जमुआर)

अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र०)

बिहार, पटना।

